न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2018 अपील

उनवान

श्री लादू पिता कालू तेली निवासी गाडरमाला तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0) ---प्रार्थी	**बनाम**	1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला-भीलवाडा (राज0) ---अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हमीरगढ, बमामले प्र0सं0 225/2017 आदेश दिनांक 08.03.2018

उपस्थित :- श्री हरदयाल वर्मा अधि0 अपीलान्ट की ओर से !
राजकीय पक्ष में श्री विपुल बापना उपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 25/05/2018

अपीलार्थी की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ, बमामले प्रकरण संख्या 225/2017 आदेश दिनांक 08.03.2018 प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दुड़िया द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम दुड़िया की आराजी नम्बर 01 रकबा 0.07 बीघा भूमि किस्म चरागाह पर बाबत नाजायज कब्जा की रिपोर्ट की है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी लादू तेली को नोटिस जारी कर तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा जिससे विपक्षी अतिक्रमी के विरूद्ध दिनांक 28.02.2018 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के समर्थन में बयान दिये जिसमें विपक्षी द्वारा ग्राम दुड़िया की आ0नं0 01 रकबा 0-07 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करना बताया और विगत वर्ष भी अतिक्रमण करना बताया जिसके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 156/2016 दर्ज हुआ जिसमें बेदखली का आदेश पारित कर बेदखल किया गया । इससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर बेदखली, न्यूनतम लगान 1 रूपये का 50 गुणा अर्थदण्ड के साथ 01 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं दण्डादेश खिलाफ कानून व वाकयातों के होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का उक्त अपीलाधीन आराजीयात ग्राम दुड़िया की आ0नं0 01 रकबा 0-07 बीघा पर ना तो कब्जा है, ना कभी कब्जा रहा है। वास्तविकता में उक्त अपीलाधीन आराजीयात अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात व रास्ते की जमीन के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बीच की सार्वजनिक जमीन है जिस पर होकर अपीलान्ट अपने खातेदारी अधिकार आधिपत्य के खेतों पर जरूर आता–जाता है तथा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात पर पशु–मवेशी आदि नहीं घुसे इस कारण पहले उक्त जमीन पर अस्थाई बाड़ अपनी खाते की जमीन की सुरक्षा के लिए जरूर लगाई थी जो भी बाद में हटा ली। अपीलान्ट ने ना तो किसी सार्वजनिक या सरकारी जमीन पर कब्जा किया है ना ही ऐसी कोई मंशा अपीलान्ट की कभी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अपील बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित एवं राज्य पक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील मीमों पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने का निवेदन किया । तहसीलदार हमीरगढ की ओर से राजकीय अभिभाषक ने वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा मौके पर चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जा किया है । अपीलार्थी के द्वारा पश्चातवर्ती कब्जा किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नाजायज कब्जे की प्रवृत्ति को रोके जाने हेतु सिविल जेल की सजा प्रदान की गई जो उचित है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। अपील मीमों में स्वयं अपीलार्थी इस कथन को स्वीकार कर रहा है कि उसके द्वारा अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु स्वयं के खातेदारी की भूमि व रास्ते की भूमि के मध्य सार्वजनिक भूमि होने से सुरक्षा के लिए बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया है जबकि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही हेतु प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया परन्तु नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण के खण्डन में कोई जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की न ही कब्जा हटा लेने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण ही प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का दुड़िया के बयान दिनांक 28.02.2018 से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के द्वारा वर्ष 2016 में भी अतिक्रमण किया जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 156/2016 दर्ज कर अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाना बताया है जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण की तारीफ में आता है इस प्रकार पुनः नाजायज कब्जा कर न्यायालय आदेशों की बार–बार अवहेलना की गई है । अपीलार्थी के द्वारा अपनी अपील की ताईद में कोई साक्ष्य दस्तावेज या गवाह प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है । स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ–आयुक्त से प्रमाणित शपथ पत्र दिनांक 22.05.2018 को प्रस्तुत किया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात व रास्ते की जमीन के बीच उक्त सार्वजनिक जमीन है जिस पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी पर आता–जाता था तथा अस्थायी रूप से मवेशी व पशु आदि

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं घुसे इस कारण उक्त जमीन पर अस्थाई बाड़ अपने खाते की जमीन की सुरक्षा के लिए बनाई थी जो भी हटा ली गई है। अब कोई बाड़ नहीं है ना ही अतिक्रमण है। ना ही भविष्य में अतिक्रमण करूंगा। अपीलार्थी ने भविष्य में ऐसी किसी भी राजकीय, चरागाह व सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर स्वयं या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा भविष्य में नाजायज कब्जा नहीं किए जाने का (बन्धपत्र) शपथ आयुक्त से प्रमाणित शुदा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अपीलार्थी ने आराजी नम्बर 01 रकबा 0.07 बीघा किस्म चरागाह से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी राजकीय बिलानाम, चरागाह या सार्वजनिक उपयोग की भूमियों में नाजायज कब्जा नहीं किए जाने की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के प्रकरण संख्या 225/2017 आदेश दिनांक 08.03.2018 से सुनाई गई 30 दिन की सिविल जेल की सजा को माफ किया जाना उचित है । अतएव–

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राम दुड़िया की आराजी नम्बर 01 रकबा 0.07 बीघा किस्म चरागाह से अपीलार्थी ने अपना नाजायज कब्जा हटा लिया है इस सम्बन्ध में स्वयं के द्वारा शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिसकी ताईद में तहसीलदार हमीरगढ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार हमीरगढ के पत्रांक राजस्व/2018/450 दिनांक 30.05.2018 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चरागाह आ0नं0 01 रकबा 0.01 बीघा से अतिक्रमी श्री लादू पिता कालू तेली निवासी गाडरमाला के द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 225/2017 आदेश दिनांक 08.03.2018 से अपीलान्ट को सुनाई गई 30 दिवस की सिविल जेल की सजा को माफ किया जाता है। शेष पैनल्टी आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा